

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
(रेलवे बोर्ड/ Railway Board)

पेंशनी प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा

पर

मास्टर परिपत्र सं. 54
(अक्टूबर, 2019 में अपडेटेड)

Master Circular No. 54
(Updated in October, 2019)

On

Qualifying Service for Pensionary purposes.

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)**


No. 2019/F(E)III/7/1

New Delhi, Dated :/4.10.2019

**The GMs/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc.,
(As per mailing list)**

Subject: Qualifying Service for pensionary purposes.

Please find enclosed herewith a copy of Master Circular No. 54 regarding Qualifying Service for pensionary purposes, for information and necessary action.



**(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.**

D.A.: as above

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares)
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-c, Feroze Shah Road, New Delhi (with 30 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No. 402, Rail Bhawan.
6. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association.
7. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 439, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
11. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi -110 001.
12. The Secretary, Railway Board Promottee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No. 48, Rail Bhawan.

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)**

No. 2019/F(E)III/7/1

New Delhi, Dated : 14.10.2019

**The GMs/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc.,
(As per mailing list)**

Sub: Qualifying service for pensionary purposes

Master Circular No. 54 on the concept of "Qualifying Service for pensionary purposes" was last brought out and circulated vide Board's letter No. F(E)III/93/Master Circular-2 dated 30.03.1994. Railway Board have now decided to issue a consolidated Revised Master Circular on the subject for the information and guidance of all concerned.

2. While referring to this circular, the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.

3. The instructions contained in the original circulars referred to above, have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and

4. If any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the said circular, which has been missed through oversight, should be treated as valid and operative. Such, a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.

QUALIFYING SERVICE

Qualifying service of a railway servant shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed either substantively or in an officiating or temporary capacity.

Provided that the officiating or temporary service is followed without interruption by substantive appointment in the same or another service or post.,

Provided further that-

- (a) in the case of a railway servant in a Group 'D' service or post who held a lien or a suspended lien on a permanent pensionable post prior to the 17th April, 1950, service rendered before attaining the age of sixteen years shall not count for any purpose;
- (b) in the case of a railway servant not covered by clause (a), service rendered before attaining the age of **eighteen** years shall not count, except for compensation gratuity.

**(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/99/PN 1/(Modification) dated
23.05.2000)**

- (c) the provisions of clause (b) shall not be applicable in the cases of counting of military service for civil pension under Rule 34.

**(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/2004/PN1/21 (Amendment) dated
07.12.2004)**

1.1 A qualifying service of 9 years and 9 months and above at the time of retirement shall be treated as ten years of service for the purpose of pension and death/retirement gratuity.

2. Counting of the period of service paid from contingencies.

In respect of a railway servant, in service on or after the 22nd day of August, 1968, half the service paid from contingencies shall be taken into account for calculating pensionary benefits on absorption in regular employment, subject to the following conditions namely:-

- (a) the service paid from contingencies has been in a job involving whole-time employment;
- (b) the service paid from contingencies should be in a type of work or job for which regular posts could have been sanctioned such as posts of malis, chowkidars and khalasis;
- (c) the service should have been such for which payment has been made either on monthly rate basis or on daily rates computed and paid on a monthly basis and which, though not analogous to the regular scales of pay, borne some relation in the matter of pay to those being paid for similar jobs being performed at the relevant period by staff in regular establishments;
- (d) the service paid from contingencies has been continuous and followed by absorption in regular employment without a break; Provide that the weightage for past service paid from contingencies shall be limited to the period after 1st January 1961 subject to the condition that authentic records of service such as pay bill, leave record or service-book is available.

Note- (1) the provisions of this rule shall also apply to casual labour paid from contingencies.

- (2) The expression "absorption in regular employment" means absorption against a regular post.

3. Counting of service rendered in Autonomous Bodies after absorption on Railways.

Where there is a pension scheme in a body controlled or financed by the Central Government in which a railway servant is absorbed, he shall be entitled to exercise option either to count the service rendered under the railways in that body for pension or to receive retirement benefit for the service rendered under the railways in accordance with the orders issued by the railways.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9 dated 23.09.13)

Explanation: - Body means autonomous body or statutory body.

3.1 The service rendered by the employees in Government/Railways will not be counted for the purpose of pension on absorption in the Nationalised Banks including the Reserve Bank of India and the State Bank of India and its Subsidiaries and other financial institutions including Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation and its Subsidiaries. Similarly, the service rendered in these institutions by the employees prior to their appointment in Central Government/Railways will not count for the purpose of pensionary benefits under Central Government/Railways. They may seek terminal benefits as admissible from the concerned Nationalised Banks, etc, in which they had rendered service before being appointed in the Central Government/Railways/

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/95/PN1/4 dated 04.08.1995)

4. Counting of service under probation.

Service constituting period of probation of a railway servant appointed as a probationer or on probation shall be treated as qualifying service.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/99/PN 1/(Modification) dated 23.5.2000)

5. Counting of period spent on training.

The Ministry of Railways may, by order, decide whether the time spent by a railway servant under training immediately before his appointment to service under the railway shall count as qualifying service.

6. Counting of service on Contract.

(1) A person who is initially engaged by the railways on a contract and is subsequently appointed to the same or another post in a substantive capacity, without a break in service, such contract period of service shall be treated like any other permanent service in the railway and be taken into account for calculating for the pensionary benefits, subject to the conditions laid down in these rules;

Provided that

(i) the period of contract service, during which the Contract officer did not subscribe to the State Railway Provident Fund (Contributory), shall count to the

extent indicated above, if during such period, the Railway servant concerned did not receive any inflated rates of pay by reason of absence of any retirement benefits;

(ii) if the railway servant concerned has subscribed to the State Railway Provident Fund (Contributory) during a period of combat service, he shall have the option either-

(a) to refund the Government contribution in the Provident Fund together with interest there-on, and Special Contribution to Provident Fund, if any, for the period in question and to count the contract service for pensionary benefits to the extent indicated above, or

(b) to retain the Government contribution to the Provident Fund with interest thereon including any other compensation and Special contribution to Provident Fund, if any, and not to count the period of contract service in question for pensionary benefits.

(2) The option, referred to in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (1), shall be exercised within three months from the date of issue of the order of confirmation of the railway servant concerned in a substantive post and if he is on leave on that date, within three months of his return from leave, whichever is later.

(3) If no option is received from the railway servant within the period referred to in sub-rule (2), he shall be deemed to have opted for retention of monetary benefits referred to in sub-rule (2), he shall be deemed to have opted for retention of monetary benefits referred to in sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (1).

(4) Where a railway servant (on contract basis) who was admitted to the State Railway Contributory Provident Fund opts for the alternative in sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (1) above, the amount of Government contribution together with interest thereon including other compensation standing to his credit in the State Railway Provident Fund (Contributory) and the Special Contribution to the Provident Fund, if any, shall be surrendered and such amount shall be credited to the Consolidated Fund of India.

Provided that in a case where the Government contribution and the Special contribution, if any, have been paid to the railway servant, he shall be required to refund the amount received by him together with compound interest on the amount actually received from the date(s) of payment to the date of final refund, at the rate which would have been applicable to the Government contribution, if that amount would have remained in the fund and earned interest, in case where the railway servant dies before the entire amount is refunded, the amount which remains to be refunded shall be adjusted against the death gratuity which may become payable to the family of such railway servant.

7. Counting of Military service rendered before Railway employment.

(1) A railway servant who is re-employed in a railway service or post before attaining the age of superannuation and who, before such re-employment, had rendered military service, may, on his confirmation in a railway service or post, opt either—

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/2004/PN1/21(Amendment) dated 7.12.2004)

- (a) to continue to draw the military pension or retain gratuity received on discharge from military service, in which case his former military services shall not count as qualifying service; or
- (b) to cease to draw his pension and refund,—
 - (i) the pension already drawn;
 - (ii) the value received for the commutation of a part of military pension; and
 - (iii) the amount of death-cum-retirement gratuity including service gratuity, if any, and count previous military service as qualifying service, in which case the service so allowed to count shall be restricted to a service within or outside the employees' unit or department in India or elsewhere which is paid from the Consolidated Fund of India or for which pensionary contribution has been received by the Government:

Provided that—

- (i) the pension drawn prior to the date of re-employment shall not be required to be refunded;
- (ii) the element of pension which was ignored for fixation of his pay including the element of pension which was not taken into account for fixation of pay on re-employment shall be refunded by him;
- (iii) the element of pension equivalent of gratuity including the element of commuted part of pension, if any, which was taken into account for fixation of pay shall be set off against the amount of death-cum-retirement gratuity and the commuted value of pension and the balance, if any, shall be refunded by him.

Explanation—In the proviso to this sub-rule, the expression "which was taken into account" means the amount of pension including the pension equivalent of gratuity by which the pay of the railway servant was reduced on initial re-employment and the expression "which was not taken into account" shall be construed accordingly.

(2)(a) The authority issuing the order of substantive appointment to a railway service or post referred to in sub-rule (1) shall along with such order require in writing the railway servant to exercise his option under that sub-rule within three months of the date of issue of such order or if he is on leave on that date within three months of his return from leave, whichever is later and also bring to his notice the provisions of clause (b) of that sub-rule.

(b) If no option is exercised within the period referred to in clause (a), the railway servant shall be deemed to have opted for clause (a) of sub-rule (1).

(3)(a) A railway servant who opts for clause (b) of sub-rule (1) shall be required to refund the pension, bonus or gratuity received in respect of his earlier military service, in monthly instalment not exceeding thirty six in number, the first installment beginning from the month following the month in which he exercised such option,

(b) The right to count previous service as qualifying service shall not revive until the whole amount has been refunded.

(4) In the case where a railway servant who, having elected to refund the pension, bonus or gratuity, dies before the entire amount is refunded, the unrefunded amount of pension or gratuity shall be adjusted against the death-cum-retirement gratuity which may become payable to such deceased's family.

(5) When an order is passed under this rule allowing previous military service to count as part of the service qualifying for civil pension, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service, if any, in the military service and between the military and railway services.

7.1 Verification of Military Service.

Before pension is granted, the war or Military service of the individual to whom pension is payable and the amount of bonus or gratuity in lieu of pension paid to him shall be verified, in Form 3 from the following authorities as indicated against each category of the employees, namely: -

I. Ex-service Commissioned Officers-

- (a) (i) Non-Medical Officers-A.G's Branch/Ogr3(RR&C)(d) Army Headquarters, DHQ P.O., New Delhi.
- (ii) Medical Officers-MPRS (O) (NE) Medical Directorate, Army Headquarters, DHQPO, New Delhi.
- (b) Ex. Naval Officers-Personal services Directorate (Naval Appointments), Headquarters, DHQPO, New Delhi.
- (c) Ex-Air Force Officers-Directorate of Personnel (Officers) (P.O. 2) Air Headquarters, DHQPO, New Delhi.

II. Ex. J.C.O's, Other Ranks and NcsE and their equivalent in the Navy and Air Force. The authorities concerned shall be addressed enclosing two copies of Form 3 -

- (a) JCO's Ors. And NcsE. Of the Indian Army-The respective Record Office as indicated in the Discharge Certificate of an individual concerned. (A list of the existing Record Offices is given in Appendix II).
- (b) CPO Petty Officers and Sailors of Navy-The Captain, Naval Barracks (Drafting Office), Bombay.
- (c) MWOs., Wos., NCO's., and Airmen of the Air Force-Directorate of Personnel (Airman, Air Head Quarters) Vayu Bhawan, New Delhi.

8. Counting of service rendered under the Central Government (in a Civil Ministry or Department or as a Civilian employee under the Ministry of Defence including Ordnance Factories) or a State Government by a person transferred and permanently absorbed on the railway.

(1) A pensionable employee transferred to the railways from another Central Government Department shall be treated as on deputation so long as he is not

permanently absorbed in the railway service and on permanent absorption in such service he shall be entitled to pensionary benefits under these rules.

(2) If a permanent employee, who is a member of a Contributory Provident Fund, is transferred and permanently absorbed in a railway service on pensionable basis, the period of service rendered by him prior to his joining such railway service shall count for pensionary benefits under these rules and the employee's contribution to his Provident Fund Account shall be resumed by the Ministry or Department under which he had served prior to joining such railway service.

(3) In the case of an employee, who was a member of a Contributory Provident Fund while in the service of a State Government, the amount of Government contribution with interest thereon shall be resumed by the railways with the consent of the State Government concerned and such employee shall be allowed to count the period of his service under the State Government during which he had actually subscribed to the Contributory Provident Fund and if the State Government concerned is willing to bear the proportionate liability on service-share basis taking into account the entire service under such Government, the Government contribution for such service credited by it shall be resumed by such State Government.

(4) The provisions of rule 23 shall apply as far as may be, to the contract service rendered under a State or the Central Government provided that the previous contract service during which the railway servant did not subscribe to a Contributory Provident Fund shall count only if the previous employer is prepared to share the proportionate liability on service-share basis for the entire service rendered under him.

9. Condonation of interruption in service.

(1) (a) In the absence of a specific indication to the contrary in the service book, an interruption between two spells of Government service rendered by a railway servant under Government including Civil Service rendered and paid out of Defence Services Estimates or Railway Estimates shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service treated as qualifying service.

(b) Nothing in clause (a) shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service or for participation in a strike.

(2) Where the break in service of a railway servant is condoned, he shall, unless specifically provided to the contrary in the sanction for such condonation, refund any gratuity, special contribution as well as Government contribution to Provident Fund, if any, with interest thereon, received by him in respect of his service before the break.

10. Counting of the period of suspension.

Where a railway servant is kept under suspension pending inquiry into his conduct the period of such suspension shall count as qualifying service only where on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or the suspension is held to be wholly unjustified and in other cases, the period of such suspension shall not count unless the authority competent to pass orders under the rule governing such cases expressly declares that it shall count to such extent as that authority may declare. Where the authority reinstating the railway servant had not passed order as to the treatment of the period of suspension for the purpose of qualifying service for

pensionary benefits the period of suspension shall qualify only if it had been treated as duty or leave due, as the case may.

11. Counting of the period spent on leave.

All leave during service for which leave salary is payable and all extraordinary leave granted on medical grounds shall count as qualifying services:

Provided that in the case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate, the appointing authority may, at the time of granting such leave; allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to a railway servant,

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/99/PN1/(Modification) dated 23.05.2000)

- (i) due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion, or
- (ii) for prosecuting higher scientific or technical studies.

12. Counting of service of Substitute-

Service rendered as substitute shall be counted for pensionary benefits from the date of completion of three months in the case of teachers and four months in other cases of continuous service as substitute followed by absorption in a regular Group C or Group D posts without any break.

13. Counting of the service in the United Nations Secretariat and other organizations.:

A railway servant who is deputed on foreign service to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International Organization and who becomes entitled for pensionary benefits from that organization, may at his option,-

- (a) pay the pension contributions in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension under these rules; or
- (b) avail the retirement benefits admissible under the rules of the aforesaid organisation and not count such service as qualifying for pension under these rules:

Provided that where a railway servant opts for clause (b), retirement benefits shall be payable to him in India in rupees from such date and in such manner as the Government may, by order, specify:

Provided further that pension contributions, if any, paid by the railway servant, shall be refunded to him.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9dated 23.09.13)

14. Periods which shall not be treated as service for pensionary benefits:-

Periods of employment in any of the following capacities shall not constitute service for pensionary benefits, namely, :-

- (i) in a part-time capacity;
- (ii) at casual market or daily rates;
- (iii) in a non-pensionable post;
- (iv) in a post paid from contingencies except as provide in Rule 31;
- (v) under a covenant or a contract which does not specifically provided for grant of pensionary benefits;
- (vi) work done on payment of a fee or honorarium;
- (vii) Apprentice period of Special Class Apprentices

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/99/PN 1/(Modification) dated 23.5.2000)

- (viii) removal or dismissal from service in accordance with rule 40;
- (ix) resignation from service save as indicated under rule 41;
- (x) period of unauthorized absence in continuation of authorized joining time or in continuation of authorized leave of absence treated as overstay;
- (xi) joining time allowed to a railway servant transferred at his own request and not in public interest for which he is not entitled to be paid;
- (xii) period of service treated as dies-non;
- (xiii) foreign service in respect of which the foreign employer or railway servant has not paid service contributed unless the payment has been specifically waived by the President;
- (xiv) on contract basis except when followed by confirmation.

NOTE: Unpaid holidays, Sundays and short periods of leave for half-a-day or less granted to railway workshop staff shall be treated as qualifying service.

15. Conditions subject to which service qualifies:-

(1) The service of a railway servant shall not qualify unless his duties and pay are regulated by the Government; or under conditions determined by the Government.

Explanation: Save as otherwise provided in these rules for the purpose of sub-rule (1) the expression "service" means service under the Government and paid by that Government from the Consolidated Fund of India or a Local Fund administered by that Government but does not include service in a non-pensionable establishment unless such service is treated as qualifying service by that Government.

(2) In case of a railway servant belonging to a State Government who is permanently transferred to a service or post under the railways, the continuous service rendered under the State Government in an officiating or temporary capacity if any, followed without interruption by substantive appointment or the continuous service rendered under that Government in an officiating or temporary capacity, as the case may be, shall qualify:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to any such railway servant who is appointed otherwise than by deputation to a service or post to which these rules apply.

16. Counting of service on railways as qualifying service:-

The service of a railway servant which shall qualify for pensionary benefits, to the extent-provided for in these rules, shall be as follows:

- (i) continuous service in the Indian Railways or continuous service in former company railway or in a former State Railway which have been taken over by the Central Government; and followed by service on Indian Railways.

Note:- Service rendered by a railway servant with a former State Ruler whether as a state employee or personally to the ex-Ruler or in his household prior to the Federal Financial Integration, followed without break of such service, shall be treated as service in the former State Railway for the Purpose of pensionary benefits irrespective of whether his emoluments were paid from the State Revenues or from the private source of the ex-Ruler.

- (ii) Service rendered before joining the Indian Railway or a former Company railway or former State railway, which have been taken over by the Government, provided it is: -
 - (a) a service in an Indian Railway or former State railway or former Company railway if at the time of transfer it was decided that such service would count for special contribution to Provident Fund;
 - (b) a service on a contract basis on an Indian Railway or a former Company railway or a former State Railway subject to the provisions of rule 24;
 - (c) a service under a private railway company or a quasi railway body to the extent and subject to the provisions of rule 25;
- (iii) A non-pensionable service of a scientific employee under a semi-Government institution which is financed from cess or Government grants subject to the provisions of rule 30.
- (iv) A military or a war service.
- (v) A qualifying service rendered under the Central Government (in a Civil Ministry or Department or as a civilian employee under the Ministry of Defence including the Ordnance Factories) or a State Government before transfer to Railways in accordance with the provisions of rule 27.

17. Counting of service rendered under Private railway Companies and quasi-railway bodies:-

- (1) The previous service of employees of the former private or former railway companies and quasi-railway bodies who were absorbed in or appointed as fresh entrants in the Indian Railways shall be taken into account for pensionary benefits under these rules, if countable as under, for the purpose of special contribution to Provident Fund.
 - (i) if under the existing orders, the service is not countable for special contribution to Provident Fund, the same shall not be taken account for pensionary benefits;
 - (ii) if under the existing orders, previous service is countable for determining only eligibility for special contribution to Provident Fund the same shall be taken into account in full for pensionary benefits.

- (2) The previous service, which is taken into account in accordance with the provisions of sub-rule (1), shall be treated as service in Railways to the extent indicated therein, for pensionary benefits under these rules.

18. Counting of service rendered in the Indian Railway Conference Association:-

If a part of the service rendered by a railway servant in the Indian Railway Conference Association, such service shall be deemed as having been rendered under the Government and shall be taken into account for calculating the qualifying service under these rules;

Provided that the transfer has been effected as a result of the railway servants application having been forwarded through proper channel or in consequence of the Indian Railway Conference Association and the Indian Railway Administration having agreed to such transfer on account of the employee's special qualification or experience.

19. Counting of temporary service under the State and Central Government and allocation of pensionary benefits:-

- (1) The Government servants can be allowed the benefit of counting their qualifying service both under the Central Government and the State Governments for grant of pension by the Government from where they retire: Provided that the gratuity, if any, received by the Government employee for temporary service under the Central or State Government shall be refunded by him to that Government concerned.
- (2) The Government servants eligible to claim the benefits of combined service in accordance with sub-rule (1) shall be of the following categories:-
- (a) those who having been retrenched from the service of the Central Government or a State Government but have secured on their own, employment under a State or the Central Government either with or without interruption between the date of retrenchment and date of new appointment;
- (b) those who while holding temporary posts under the Central Government or a State Government apply for posts under the Central Government or a State Government through proper channel with proper permission of the administrative authority concerned;

Provided that where an employee is required for administrative reasons, for satisfying a technical requirement, to tender resignation from the temporary post held by him before joining the new appointment, a certificate to the effect that such resignation had been tendered for administrative reasons or to satisfy a technical requirement to join, with proper permission the new posts, may be issued by the authority accepting the resignation. A record of this certificate may also be made in his service book under proper attestation to enable him to get this benefit at the time of retirement.

- (3) The provision of this rule shall not apply to the employees in the previous employment of the State Governments of Jammu and Kashmir and Nagaland.

20. Pensionary liability of Departments of the Central Government:-

The liability for pension including gratuity shall be borne in full by the Department to which the Government servant permanently belongs at the time of retirement and no recovery of proportionate pension shall be made from other Department of the Central Government under whom he had served.

21. Counting of service rendered by Scientific employees in semi-Government institution:-

Service rendered by a scientific employee in a semi-Government institution which is financed from cess or Government grants and during such service he was subscribing to a Contributory Provident Fund, shall, on permanent appointment without any interruption to a pensionable railway service be counted as service qualifying for pension:

Provided that the contribution together with interest thereon paid by the said institution is made over to the Government but so much of the period of service during which he did not subscribe to the Contributory Provident Fund shall not be so reckoned unless the previous employer agrees to bear proportionate liability on account of pensionary benefits for the service so rendered. If the employee was not on a Contributory Provident Fund basis in such an institution, his previous service shall be reckoned as qualifying for pension if the previous employer agrees to bear proportionate liability on account of pensionary benefits.

22. Counting of pre-retirement Civil (including railway) service in the case of re-employed railway servant:-

- (1) A railway servant who, having retired on compensation pension or invalid pension or compensation gratuity or invalid gratuity, is re-employed and appointed substantively to a service or a post to which these rules apply, may exercise his option either :—
 - (a) to continue to draw the pension or retain the gratuity sanctioned for his earlier service, in which case his former service shall not be counted as qualifying service, or
 - (b) to cease to draw his pension and refund—
 - (i) pension already drawn;
 - (ii) the value received for commutation of part or a part of pension; and
- (ii) the amount of death-cum-retirement gratuity including service gratuity, if any, and count the previous service as qualifying service :

Provided that —

- (i) the pension drawn prior to the date of re-employment shall not be required to be refunded;
- (ii) the element of pension which was ignored for fixation of his pay including the element of pension which was not taken into account for fixation of pay shall be refunded by him;
- (iii) the element of pension equivalent of gratuity including the element of commuted part of pension, if any, which was taken into account for fixation

of his pay shall be set off against the amount of death-cum-retirement-gratuity and the commuted value of pension and the balance, if any, shall be refunded by him.

Explanation. —In the proviso to this sub-rule, the expression "which was taken into account" means, the amount of pension including the pension equivalent of gratuity by which pay of the railway servant was reduced on initial re-employment and the expression "which was not taken into account" shall be construed accordingly.

(2) (a) The authority issuing the order of substantive appointment to a railway service or post referred to in sub-rule (1) shall along with such order require in writing the railway servant to exercise his option under that sub-rule within three months of the date of issue of such order or if he is on leave on that date, within three months of his return from leave, whichever is later and also bring to his notice the provisions of clause (b) of that sub-rule.

(b) If no option is exercised within the period referred to in clause (a), the railway servant shall be deemed to have opted for clause (a) of sub-rule (1).

(3) In case of a railway servant, who opts or is deemed to have opted for clause (a) of sub-rule (1), the pension or gratuity admissible for his subsequent service shall be subject to the limitation that the service gratuity or the capital value of the pension and death-cum retirement gratuity, if any shall not be greater than the difference between the value of the pension and death-cum-retirement gratuity, if any, which would have been admissible to him at the time of his final retirement if the two periods of service were combined and the value of retirement benefits already granted to him for the previous service.

Note—The capital value of pension shall be calculated in accordance with the Table in the Appendix II under the Railway Service (Commutation of Pension) Rules 1993, as applicable at the time of the second or final retirement.

(4)(a) A railway servant who opts for clause (b) of sub-rule (1) shall be required to refund the gratuity including death-cum-retirement gratuity, if any, received in respect of his earlier service, in monthly installments not exceeding thirty-six in number, the first installment beginning from the month following the month in which he exercised such option.

(b) The right to count previous service as qualifying service shall not be revived until the whole amount has been refunded. (5) In the case where a railway servant who, having elected to refund the gratuity, dies before the entire amount is refunded, the unrefunded amount of gratuity shall be adjusted against the death-cum-retirement gratuity which may become payable to such deceased's family

23. Counting of periods spent on training:-

The Ministry of Railways may, by order, decide whether the time spent by a railway servant under training immediately before his appointment to service under the railway shall count as qualifying service.

24. Counting of past service on reinstatement:-

- (1) A railway servant, who is dismissed, removed or compulsorily retired from service, but is reinstated on appeal review, is entitled to count his past service as qualifying service.
- (2) The period of interruption in service between the date of dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement, and the period of suspension, if any, shall not count as qualifying service unless regularized as 'duty' or 'leave' by a specific order of the authority which passed the order or reinstatement.

25. Forfeiture of service on dismissal or removal:-

Dismissal or removal of a railway servant from a service or post shall lead to forfeiture of his past service.

26. Forfeiture of service on resignation:-

- (1) Resignation by a railway servant from a service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority shall lead to forfeiture of his past service.
- (2) A resignation shall not lead to forfeiture of past service if it has been submitted to take up, with proper permission, another appointment, whether temporary or permanent under the Government where service qualifies for pension.
- (3) Interruption in service in a case falling under sub-rule (2), due to the two appointments, being at different stations, not exceeding the joining time permissible under the rules of transfer, shall be covered by grant of leave of any kind due to the railway servant on the date of relief or by formal condonation to the extent to which the period is not covered by leave due to him.
- (4) The appointing authority may permit a person to withdraw his resignation in the public interest on the following conditions, namely: -
 - (i) that the resignation was tendered by the railway servant for some compelling reasons which did not involve any reflection on his integrity, efficiency or conduct and the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of a material change in the circumstances which originally compelled him to tender the resignation.
 - (ii) that during the period intervening between the date on which the resignation became effective and the date from which the request for withdrawal was made, the conduct of the person concerned was in no way improper;
 - (iii) that the period of absence from duty between the date on which the resignation became effective and the date on which the railway servant is allowed to resume duty as a result of permission to withdraw the resignation is not more than ninety days;

- (iv) that the post, which was vacated by the railway servant on the acceptance of his resignation or any other comparable post, is available.
- (5) Request for withdrawal of a resignation shall not be accepted by the appointing authority where a railway servant resigns his service or post with a view to taking up an appointment in or under a private commercial company or in or under a Corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Government or in or under a body controlled or financed by the Government.
- (6) When an order is passed by the appointing authority allowing a person to withdraw his resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service but the period of interruption shall not count as qualifying services.
- (7) A resignation submitted for the purpose of Rule 53 should not entail forfeiture of past service under the Government or the railway.

27. Effect of interruption in service:-

- (1) An interruption in the service of a railway servant shall lead to forfeiture of his past service, except in the following cases namely: -
 - (a) authorised leave of absence;
 - (b) unauthorised absence in continuation of authorised leave of absence so long as the post of absentee is not substantively filled;
 - (c) suspension, where it is immediately followed by reinstatement whether in the same or a different post, or where the railway servant dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of compulsory retirement, while under suspension;
 - (d) transfer to non-qualifying service in an establishment under the control of the Government if such transfer has been ordered by a competent authority in the public interest;
 - (e) joining time while on transfer from one post to another.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the appointing authority may, by order, commute retrospectively the period of absence without leave as extraordinary leave.

28. Treatment of breaks in service Condoned for Special contribution to Provident Fund:-

Any break in service condoned prior to the 22nd June, 1961 for the purpose of Special Contribution to Provident Fund shall be deemed to be condoned for the purpose of pensionary benefits also, provided that-

- (i) the railway servant who has not refunded the amount of gratuity (Special contribution to Provident Fund or Government contribution or both) received by him for the spell of service rendered prior to the break in service, refunds to the Government the amount thereof. No interest, need, be recovered on the amount for the period it remained with him;

- (ii)(a) the intention to make the refund has been made known by the railway servant in writing to the Accounts Officer not later than six months from the date of issue of orders of his confirmation in a substantive post or if he is on leave, within six months of date of his return from leave;
- (b) the refund may be made in installments not exceeding twelve in numbers as may be specified by the authority who condones the break in service;
- (c) the right to count the previous service shall not revive till the whole amount has been completely refunded,

29. Vérification of qualifying service after eighteen years service and five years before retirement:-


- (1) A railway servant on completing eighteen years of service or on his being left with five years of service before the date of retirement whichever is earlier, the Accounts Officer concerned in the case of a gazetted railway servant and the Head of Office in consultation with the Accounts Officer concerned in the case of a non-gazetted railway servant shall, in accordance with the rules for the time being in force, verify the service rendered by such railway servant, determine the qualifying service and communicate to him the period of qualifying service so determined in Form 15

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9dated 23.09.13 & File No. 2015/F(E)III/1(1)/4 dt.17.06.16RB NO.70)

- (1A)For the purposes of verification of service, the Head of Office shall follow the procedure provided in clause (a) of sub-rule (1) of rule 79.

(Authority: File No. 2015/F (E)III/1(1)/4 dt.17.06.16RB NO.70)

- (2) Not withstanding anything contained in sub-rule (1), where a railway servant is transferred to another department from a temporary department or on account of the closure of the department he had been previously serving, or because the post he held had been declared surplus, the verification of his service may be done whenever such event occurs.
- (3) The verification done under sub-rule (1) and (2) shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent change in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for pension.


(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2019/एफ(ई)-111/7/1

नई दिल्ली, दिनांक: 14.10.2019

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार
सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयां आदि
(ढाक सूची के अनुसार)

विषय: पेंशनी प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा।

पेंशनी प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के संबंध में मास्टर परिपत्र सं.54 पिछली बार बोर्ड के दिनांक 30.03.1994 के पत्र सं.एफ(ई)111/93/मास्टर परिपत्र-2 के तहत प्रकाशित और परिपत्रित किए गए थे। अब रेलवे बोर्ड द्वारा इस विषय पर सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए समेकित संशोधित मास्टर परिपत्र जारी करने का विनिश्चय किया गया है।

2. इस परिपत्र का उल्लेख करते समय, सही मूल्यांकन के लिए इसमें उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र अब तक जारी किए गए अनुदेशों का संकलन मात्र है और इसे मूल परिपत्रों के बदले नहीं समझा जाना चाहिए। संदेह की स्थिति में, मूल परिपत्र को प्रामाणिक मानकर उस पर ही भरोसा किया जाए।

3. जब तक संबंधित परिपत्र में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पुराने मामलों पर कार्रवाई करने के लिए, संबद्ध समय पर लागू अनुदेशों का अवलोकन किया जाए; और

4. इस समेकित परिपत्र को तैयार करते समय, यदि इस विषय पर किसी परिपत्र को, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, ध्यान में न लिया गया हो, तो गलती से छूट गए उस पुराने परिपत्र को ही वैध तथा प्रभावी माना जाए। ऐसे छूट गए परिपत्र को, यदि कोई हो, रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

अर्हक सेवा

किसी भी रेल सेवक की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी जिससे वह उस पर कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर वह अधिष्ठायी रूप से अथवा स्थानापन्न हैसियत में पहली बार नियुक्त हुआ था।

परन्तु यह तब जब कि स्थानापन्न या अस्थायी सेवा के पश्चात उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति बिना अवरोध के हुई हो।

परन्तु यह और कि -

(क) समूह 'घ' सेवा या पद पर किसी ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसका 17 अप्रैल 1950 से पूर्व कोई धारणाधिकार अथवा निलंबित धारणाधिकार किसी स्थायी पेशनीय पद पर था सोलह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई सेवा की गणना किसी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

(ख) खंड (क) के अंतर्गत न आने वाले किसी रेल सेवक की दशा में अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई सेवा की गणना प्रतिकर उपदान के लिए की जाने के सिवाए नहीं की जाएगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.05.2000 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/99/पीएन 1(आशोधन)

(ग) खंड (ख) के उपबंध नियम 34 के अंतर्गत सिविल पेंशन के लिए मिलिट्री सेवा की गणना के मामले में लागू नहीं होंगे।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 07.12.2004 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/99/पीएन 1/21(आशोधन)

1.1 सेवानिवृत्ति के समय 9 वर्ष और 9 माह या उससे अधिक की अर्हक सेवा को पेंशन और मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजनार्थ दस वर्ष की सेवा माना जाएगा।

2. आकस्मिकता से संदत्त सेवा की गणना :-

ऐसे रेल सेवक की बाबत जो 22 अगस्त, 1968 को या उसके पश्चात सेवा में आकस्मिकता से संदत्त सेवा का आधी नियमित नियोजन में समामेलन पर पेंशनिक फायदा की गणना के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए हिसाब में किया जाएगा, अर्थात:-

(क) आकस्मिकताओं से संदत्त पूर्णकालिक नियोजन वाले कार्य में सेवा की गई थी।

(ख) आकस्मिकताओं से संदत्त सेवा, इस प्रकार के कार्य या काम की होनी चाहिए, जिसके लिए नियमित पद, जैसे माली, चौकीदार और खलासी के पद स्वीकृत किए जा सकते थे;

(ग) सेवा ऐसी होनी चाहिए, जिसके लिए संदाय या तो मास-वार दर के आधार पर या मास-वार आधार पर संगणित और संदत्त दैनिक दर पर की गई है और जो यद्यपि नियमित वेतन-मान के सदृश नहीं है फिर भी वेतनमान के मामले में नियमित स्थापनों में स्टाफ द्वारा सुसंगत अवधि पर समरूप कार्य करने के लिए उसको संदत्त किए जा रहे वेतनमानों से कुछ संबंध हो;

(घ) आकस्मिकताओं से संदत्त की गई सेवा अनवरत रही हो और बिना भंग के नियमित नियोजन में समामेलन हो गया हो; परंतु यह कि आकस्मिकताओं से संदत्त की गई पिछली सेवा के लिए वेटेज इस शर्त के अधीन रहते हुए 1 जनवरी, 1961 के पश्चात की अवधि तब सीमित होगा कि सेवा के प्रमाणिक अभिलेख जैसे कि वेतन बिल, छुट्टी का रिकार्ड या सेवा पुस्तिका उपलब्ध है।

टिप्पण (1) इस नियम के उपबंध आकस्मिकता से संदत्त नैमित्तिक श्रमिक को भी लागू होंगे।

(2) नियमित नियोजन में "आमेलन" अभिव्यक्ति से किसी नियमित पद के प्रति आमेलन अभिप्रेत है।

3. रेलवे में आमेलन के बाद स्वायत्तशासी निकायों में की गई सेवा की गणना

केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय, जिसमें रेल कर्मचारी को आमेलित किया गया है, में पेंशन योजना है तो वह पेंशन के लिए निकाय में रेलवे के तहत की गई सेवा की गणना करने या रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेलवे के तहत की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभ लेने का विकल्प दे सकता है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.90.2013 का पत्र सं.2011/एफ(ई)।।।/1(1)9)

स्पष्टीकरण: निकाय से आशय स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक निकाय से है।

3.1 सरकार/रेलवे में कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा को भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों और इसकी सहायक कंपनियों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों में आमेलन होने पर पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, कर्मचारियों की केंद्र सरकार/रेलवे में उनकी नियुक्ति से पहले इन संस्थानों में की गई सेवा की केंद्र सरकार/रेलवे के तहत पेंशनीय लाभों के प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जाएगी। वह संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से यथा लागू टर्मिनल लाभ की मांग कर सकते हैं जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार/रेलवे में नियुक्ति से पहले सेवा की हो।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.08.1995 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/95/पीएन1/4)

4. परिवीक्षा पर सेवा की गणना

परिवीक्षा के रूप में नियुक्त या परिवीक्षा पर किसी रेल सेवक को परिवीक्षा की अवधि को अर्हक सेवा समझा जाएगा।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.05.2000 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/95/पीएन1/(आशोधन)

5. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना:-

रेल मंत्रालय आदेश द्वारा, यह विनिश्चित कर सकेगा कि रेल प्रशासन के अधीन सेवा में उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व रेल सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

6. संविदा पर सेवा की गणना:-

(1) कोई व्यक्ति, जिसे रेल द्वारा संविदा पर आरंभ में लगाया गया है और जिसे पश्चातवर्ती उसी पर दूसरे पद पर अधिष्ठायी हैसियत में सेवा में किसी व्यवधान के बिना नियुक्त किया गया है उसकी सेवा की ऐसी संविदा अवधि को रेल में किसी अन्य स्थायी सेवा के समान माना जाएगा और इन नियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए पेंशनी फायदों की संगणना को गणना में लिया जाएगा।

परंतु यह कि:-

(i) संविदा सेवा की उस अवधि की, जिसके दौरान संविदा अधिकारी ने राज्य रेल भविष्य निधि (अंशदायी) के लिए अभिदाय नहीं किया, ऊपर दर्शित विस्तार तक गणना की जाएगी। यदि ऐसी अवधि के दौरान संबद्ध रेल सेवक ने किसी सेवानिवृत्ति के फायदे की अनुपस्थिति के कारण कोई स्फीति दर प्राप्त नहीं कि है;

(ii) यदि संबद्ध रेल सेवक ने संविदा की सेवा की अवधि के दौरान राज्य रेल भविष्य निधि (अंशदायी) में अभिदाय किया है, तो उसके पास विकल्प होगा कि या तो-

(क) भविष्य निधि में सरकार का अंशदान उस पर ब्याज के साथ और प्रश्नगत अवधि के लिए कोई विशेष अंशदान, यदि कोई हो, वापस करें और ऊपर उपदर्शित विस्तार तक पेंशनी फायदों के लिए संविदा सेवा की गणना करे, या

(ख) भविष्य निधि में सरकार के अंशदान की उस पर ब्याज सहित जिसमें कोई अन्य प्रतिकर और भविष्य निधि में विशेष अंशदान, यदि कोई हो, सम्मिलित रखे रहे हों और प्रश्नगत संविदा सेवा की अवधि की पेशनी फायदों के लिए गणना न करें।

(2) उपनियम (1) खंड (1) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग संबद्ध रेल सेवा की अधिष्ठायी पद पर पुष्टि के आदेश के जारी होने की तारीख के तीन माह के भीतर और यदि वह उस तारीख को छुट्टी पर है तो उसकी छुट्टी पर से लौटने के तीन माह के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, किया जाएगा।

(3) यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर रेल सेवक से कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उप-नियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट आर्थिक फायदों के प्रतिधारण के लिए विकल्प दिया है।

(4) जहां कोई रेल सेवक (संविदा के आधार पर) जिसे राज्य रेल अंशदायी भविष्य निधि के लिए स्वीकार किया गया है, उपरोक्त उप-नियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (क) के लिए विकल्प देता है, वहां सरकार के अभिदाय की रकम उस पर ब्याज सहित जिसमें राज्य रेल भविष्य निधि (अंशदायी) में उसके नाम जमा कोई अन्य प्रतिकर और भविष्य निधि में विशेष अंशदान, यदि कोई हो, सम्मिलित है, अभ्यर्पित की जाएगी और ऐसी रकम भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।

परंतु यह कि उस दशा में, जहां किसी सरकारी अंशदान और विशेष अंशदान, यदि कोई हो, का संदाय रेल सेवक को किया गया है, वहां उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसे प्राप्त रकम और संदाय की तारीख (तारीखों) से अंतिम प्रतिदाय की तारीख तक वास्तव में प्राप्त रकम पर उस दर से, जो सरकारी अंशदान को लागू होती, यदि वह रकम निधि में रही होती और उसने ब्याज अर्जित की होती तो, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्रतिदाय करे और यदि जहां संपूर्ण रकम का प्रतिदाय किए जाने के पूर्व रेल सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उस रकम का उस मृत्यु उपदान से समायोजन किया जाएगा, जो ऐसे रेल सेवक के कुटुम्ब को संदेय हो जाए।

7. रेल में नियोजन से पूर्व की गई सैनिक सेवा की गणना-

(1) ऐसा रेल सेवक, जिसे अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी रेल सेवा या पद में पुनः नियोजित किया जाता है और जिसने ऐसे पुनः नियोजन से पूर्व सैनिक सेवा की थी, किसी रेल सेवा या पद में अपनी पुष्टि हो जाने पर, या तो-

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 07.12.2004 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/2004/पीएन1/21(आशोधन)

(क) यह विकल्प कर सकेगा कि वह सैनिक पेंशन बराबर लेता रहे या सैनिक सेवा सेवा से उन्मोचित हो जाने पर प्राप्त उपदान अपने पास रखे, जिस दशा में उसकी पहले की सैनिक सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी; या

(ख) अपनी पेंशन लेने से परिविरत रहने का और रिफंड,-

(i) पहले ली गई पेंशन;

(ii) सैनिक पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए प्राप्त मूल्य; और

(iii) मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान जिसके अन्तर्गत सेवा उपदान भी है, यदि कोई हो, की रकम, लौटा देने का और अपनी पहले की सैनिक सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने का विकल्प कर सकेगा ऐर ऐसी दशा में वह सेवा जिसकी इस प्रकार गणना करने की अनुज्ञा दी गई है भारत में या अन्यत्र उस

कर्मचारी की यूनिट या विभाग के भीतर या बाहर ऐसी सेवा तक निर्बन्धित रहेगी जिसके लिए संदाय भारत की समेकित नीति में से किया जाता है या जिसके लिए पेंशन का अंशदान सरकार द्वारा प्राप्त हो चुका है:

परन्तु यह कि-

- (i) पुनः नियोजन की तारीख के पूर्व ली गई पेंशन को लौटाए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
- (ii) पेंशन का वह तत्व, जिसकी उसका वेतन नियत किए जाने के लिए अपेक्षा की गई थी जिसके अन्तर्गत पेंशन का वह तत्व भी है जो पुनर्नियोजन पर वेतन नियत करने के लिए गणना में नहीं लिया गया था, उसके द्वारा लौटाया जाएगा।
- (iii) उपदान के समतुल्य पेंशन को उस तत्व का जिसके अन्तर्गत पेंशन के संराशीकृत भाग का तत्व है, यदि कोई हो, जो वेतन नियत करने के लिए गणना में लिया गया था, मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के विरुद्ध संतुलित किया जाएगा और पेंशन का संराशीकृत मूल्य और अतिशेष, यदि कोई हो, उसके द्वारा लौटाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस उपनियम के परन्तुक में "जो गणना में लिया गया" पद से पेंशन की रकम जिसके अन्तर्गत उपदान के समतुल्य वह रकम है जिसके द्वारा रेल सेवक का वेतन प्रारंभिक पुनः नियोजन पर घटाया गया था, अभिप्रेत है और "जो गणना में नहीं लिया गया था" पद का तदनुसार अर्थ, लगाया जाएगा।

(2) (क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी रेल सेवा में या पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति का आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसे आदेश के साथ रेल सेवक से उस नियम के अधीन ऐसा आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर या यदि वह उस तारीख को छुट्टी पर है तो उसके छुट्टी से लौट आने के तीन मास के भीतर, इनमें से जो भी पश्चातवती हो, अपने विकल्प का प्रयोग करने और उस उपनियम के खण्ड (ख) के उपबंध भी उसकी जानकारी में लाने की लिखित अपेक्षा करेगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो रेल सेवक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने नियम (1) के खण्ड (क) के लिए विकल्प का प्रयोग किया है।

3 (क) ऐसे रेल सेवक से जो उपनियम (1) के खण्ड (ख) के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पहले की सैनिक सेवा की बाबत प्राप्त पेंशन, बोनस या उपदान छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में, जिनसे पहली किस्त इस मास के, जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया था, ठीक बाद के मास से प्रारंभ होगी, लौटा दे।

(ख) पहले की सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना कराने का अधिकार तब तक पुनः प्रवर्तित नहीं होगा जब तक पूरी रकम लौटा न दी गई हो।

(4) ऐसे रेल सेवक की दशा में जो पेंशन, बोनस या उपदान को लौटा देने का निर्वाचन करके पूरी रकम लौटा देने से पहले ही मर जाए, पेंशन या उपदान की वह रकम जो लौटाने से रह गई है, उस मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान मद्दे समायोजित कर दी जाएगी, जो उसके कुटुंब को संदेय हो जाए।

(5) जब इस नियम के अधीन ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हो जिसमें यह अनुज्ञा दी गई हो कि पहले की सैनिक सेवा की गणना सिविल पेंशन के लिए अर्हक सेवा के एक भाग के रूप में की जाएगी तब उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें सैनिक सेवा और रेल सेवा के बीच व्यवधान, यदि कोई हो, का माफ किया जाना सम्मिलित है।

7.1 सैनिक सेवा का सत्यापन:

पेंशन अनुदत्त किए जाने के पूर्व उस व्यक्ति की युद्ध या सैनिक सेवा का जिसको पेंशन संदेय है और पेंशन के बदल में संदत्त किए गए बोनस या उपदान की रकम का प्ररूप 3 में निम्नलिखित प्राधिकारियों में से जैसा प्रत्येक प्रवर्ग के सामने दर्शित है, सत्यापन किया जाएगा, अर्थात:-

I (क) भूतपूर्व आयुक्त आफिसर-

(i) गैर-चिकित्सीय अधिकारी ए जी की ब्रान्च/संगठन 3(आरआर और सी) (घ) सेना मुख्यालय, डी.एच.क्यू, डाकखाना, नई दिल्ली।

(ii) चिकित्सा अधिकारी एमपीआरएस (ओ) (एमई) चिकित्सा निदेशालय सेना मुख्यालय, डी.एच.क्यू, डाकखाना, नई दिल्ली।

(ख) भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी कार्मिक सेवा निदेशालय, (नौसैनिक नियुक्तियां), मुख्यालय डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली

(ग) भूतपूर्व वायु सेना अधिकारी कार्मिक निदेशालय (अधिकारी) पी.ओ. (2) वायुसेना मुख्यालय, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली,

II भूतपूर्व कनिष्ठ कमीशन अधिकारी, अन्य रैंक और एन. सी.ई. और नौसेना तथा वायुसेना में उनके समतुल्य (संबंधित प्राधिकारियों को प्ररूप 3 की दो प्रतियां संलग्न करते हुए संबोधित किया जाएगा)-

(क) भारतीय सेना के कनिष्ठ कमीशन आफिसर, अन्य रैंक और एन.सी.ई., संबंधित व्यक्ति के उन्मोचन पत्र में यथा उपदर्शित उसका अभिलेख कार्यालय (विद्यमान अभिलेख कार्यालय की सूची परिशिष्ट 2 में दी गई है।

(ख) नौ सेना के सी.पी.ओ., पेटी आफिसर और नाविक कप्तान नौसेना बैरक (इंफिटिंग कार्यालय), मुंबई।

(ग) वायु सेना के एम. डब्ल्यू. ओ. डब्ल्यू. ओ. एन.सी. ओ. और वायु सैनिक कार्मिक निदेशालय (वायु सैनिक) वायुसेना मुख्यालय, वायु भवन, नई दिल्ली।

8. रेलवे में स्थानान्तरित और स्थायी रूप से आमेलित व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार (सिविल मंत्रालय या विभाग में या रक्षा मंत्रालय के अधीन जिसके अंतर्गत आयुध कारखाना भी है, सिविलियन के रूप में) या राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा की गणना।

(1) किसी अन्य केन्द्रीय सरकार विभाग से रेल को स्थानान्तरित पेंशन योग्य कर्मचारी को, जब तक उसे रेल सेवा में स्थायी रूप से आमेलित नहीं किया जाता है, प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा और ऐसी सेवा में स्थायी आमेलन पर वह इन नियमों के अधीन पेंशनिक फायदों के लिए हकदार होगा।

(2) यदि किसी स्थायी कर्मचारी का, जो अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य है, स्थानान्तरण किया जाता और उसे पेंशनी आधार पर रेल सेवा में स्थायी रूप से आमेलित कर लिया जाता है, तो ऐसी रेल सेवा में पद-ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि की गणना इन नियमों के अधीन पेंशनिक फायदों के लिए की जाएगी और उसके भविष्य निधि खाते में नियोजक का अंशदान उस मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा जिसमें उसने ऐसी रेल सेवा में पद ग्रहण से पूर्व सेवा की थी।

(3) ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो राज्य सरकार की सेवा में रहते हुए अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य था, उसके सरकारी अंशदान की रकम ब्याज के साथ संबंधित राज्य सरकार की सहमति से रेल द्वारा की जाएगी और ऐसे कर्मचारी को, राज्य सरकार के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि को जिसके दौरान उसने वास्तविक रूप से अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान किया था, की गणना करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और यदि संबंधित राज्य सरकार ऐसी सरकार के अधीन की गई पूरी सेवा पर विचार करते हुए सेवा अंश आधार पर आनुपातिक उत्तरदायित्व वहन करने की इच्छा रखता है, तो उसके द्वारा समादत्त ऐसी सेवा के लिए सरकारी अंशदान ऐसे राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(4) नियम 23 के उपबंध, जहां तक हो सके राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई संविदा सेवा को लागू होंगे। परंतु यह कि पूर्व संविदा सेवा की जिसके दौरान रेल सेवक ने अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान नहीं दिया था, गणना केवल तभी की जाएगी यदि पूर्व नियोजक, उसके द्वारा की गई पूरी सेवा के लिए, सेवा-अंश के आधार पर आनुपातिक दायित्व वहन करने के लिए तैयार है।

9. सेवा में व्यवधान को माफ किया जाना:-

(1) (क) सेवा पुस्तिका में तत्प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट संकेत के न होने पर, किसी रेल सेवक द्वारा सरकार के अधीन की गई सरकारी सेवा, बीच व्यवधान, जिसके अंतर्गत रक्षा सेवा प्राक्कलनों या रेल प्राक्कलनों में की गई और उनके द्वारा संदत्त सिविल सेवा भी है, की दो अवधियों के बीच का व्यवधान स्वतः माफ किया गया समझा जाएगा और व्यवधान-पूर्व सेवा अर्हक सेवा के रूप में समझी जाएगी,

(ख) खंड (क) की कोई बात, सेवा से त्यागपत्र, पदच्युति या हटाए जाने या किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुए व्यवधान को लागू नहीं होगी।

(2) जहां रेल सेवक की सेवा में व्यवधान माफ कर दिया जाता है वहां वह, जब तक कि ऐसी माफी के लिए मंजूरी में तत्प्रतिकूल विनिर्दिष्ट उपबंध न हो, ऐसे व्यवधान के पूर्व अपनी सेवा के बारे में उसके द्वारा प्राप्त कोई उपदान, विशेष अभिदाय तथा भविष्य निधि में सरकारी अभिदाय, यदि कोई हो, उस पर ब्याज सहित लौटा देगा।

10. निलंबन की अवधियों की गणना-

जहां किसी रेल सेवक को उसके आचरण की जांच के लंबित रहने तथा निलंबनाधीन रखा जाता है वहां ऐसे निलंबन की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में केवल तभी गणना की जाएगी जब ऐसी जांच की समाप्ति पर उसे पूरी तरह से विमुक्त कर दिया गया है अथवा निलंबन को पूर्णतः अन्यायपूर्ण ठहराया गया है और अन्य मामलों में ऐसे निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना केवल उसी सीमा तक की जाएगी जिसकी सक्षम प्राधिकारी घोषणा करे। जहां रेल सेवक को बहाल करने वाले प्राधिकारी ने पेंशन संबंधी फायदों के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए निलंबन की अवधि की बाबत आदेश पारित नहीं किए हैं। वहां निलंबन की अवधि केवल तभी अर्हक होगी जब यथा-स्थिति उसे ड्यूटी के रूप में या देय छुट्टी के रूप में समझा गया है।

11. छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना-

सेवा के दौरान ली गई ऐसी सभी छुट्टी की, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है, और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई सभी असाधारण छुट्टी की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

परंतु चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी से भिन्न छुट्टी की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी छुट्टी मंजूर करते समय, उस छुट्टी की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि ऐसी छुट्टी रेल सेवक को -

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.05.2000 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/99/पीएन1/(आशोधन)

(i) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण करने या पुनः ग्रहण करने में उसकी असमर्थता के कारण, या

(ii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए, मंजूर की गई है।

12. किसी प्रतिस्थायी की सेवा की गणना:-

किसी प्रतिस्थायी के रूप में भी की गई सेवा पेंशनिक फायदों के लिए प्रतिस्थायी के रूप में शिक्षकों की दशा में तीन मास की और अन्य दशाओं में चार मास की नियमित सेवा पूर्ण होने की तारीख से और बाद में बिना सेवा भंग के नियमित समूह ग या समूह घ पद पर आमेलन किए जाने पर गणना में ली जाएगी।

13. संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति की अवधि:-

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय बैंक ऑफ रिकन्सट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एशियाई विकास बैंक या कामनवेल्थ सचिवालय या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन में विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति रेल सेवक और जो उस संगठनसे पेंशनीय फायदों के लिए पात्र हो, अपने विकल्प पर-

- (क) अपनी अन्यत्र सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा कर सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक रूप में कर सकेगा; या
- (ख) पूर्वोक्त संगठनों के नियमों के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का उपभोग कर सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक रूप में नहीं कर सकेगा।

परंतु जहां कि कोई रेल सेवक खंड (ख) के लिए विकल्प करता है वहां सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं उसे भारत में रूप्यों में ऐसी तारीख से और ऐसी रीति से संदेय होगी, जिसे रेल बोर्ड, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

परंतु यह और कि रेल सेवक द्वारा दिए गए पेंशन अंशदान, यदि कोई हों, उसे लौटा दिए जाएंगे।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.09.2013 का पत्र सं.2011/एफ(ई)।।।/1(1)9)

14. वे अवधियां जिन्हें पेंशन लाभ के लिए सेवा नहीं माना जाएगा:

निम्नलिखित हैसियतों में से किसी में नियोजन की अवधियां पेंशन लाभ के लिए सेवा गठित नहीं करेगी:-

- (i) अंशकालिक हैसियत में;
- (ii) नैमित्तिक बाजार या दैनिक दरों पर;
- (iii) गैर-पेंशनीय पद पर;
- (iv) नियम 31 में यथा उपबंधित के सिवाय ऐसे पद पर जिसके लिए संदाय आकस्मिकताओं से किए जाते हैं;
- (v) किसी प्रसंविदा या किसी संविदा के अधीन जो विनिर्दिष्ट रूप से पेंशन लाभ के लिए दिए जाने के लिए उपबंध नहीं करती है;
- (vi) किसी फीस या मानदेय के संदाय पर किया गया कार्य;
- (vii) विशेष वर्ग प्रशिक्षुओं की शिक्षुता अवधि;

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.05.2000 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/99/पीएन 1(आशोधन)

- (viii) नियम 40 के अनुसार सेवा से हटाया जाना या पदच्युति;
- (ix) नियम 41 के अधीन उपदर्शित रूप में के सिवाय सेवा से पदत्याग;
- (x) प्राधिकृत कार्य ग्रहण की अवधि के अनुक्रम में या अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी के अनुक्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को छुट्टी के उपरांत अनुपस्थित रहना माना जाएगा;

- (xi) किसी ऐसे रेल सेवक को जिसे स्वयं के अनुरोध पर लोकहित में नहीं स्थानांतरित किया गया है अनुज्ञात कार्यग्रहण करने की अवधि जिसके लिए वह संदाय किए जाने का हकदार नहीं है;
- (xii) अकार्य दिन के रूप में मानी गई सेवा की अवधि;
- (xiii) विदेश सेवा जियके संबंध में विदेशी नियोजक या रेल सेवक ने सेवा अंश का संदाय नहीं किया है जब तक कि संदाय का विनिर्दिष्ट रूप से राष्ट्रपति द्वारा अधित्यजन न किया गया हो;
- (xiv) संविदा के आधार पर सिवाय उस दशा के जिसमें उसकी बाद में पुष्टि कर दी गई हो।

टिप्पण: रेल कर्मशाला कर्मचारीवृन्द को मंजूर किए गए अवकाश दिन रविवार और आधे दिन या उससे कम के लिए छुट्टी की लघु अवधियों को अर्हक सेवा माना जाएगा।

15. वे शर्तें जिनके अधीन सेवा अर्हक होती हैं:-

- (1) रेल सेवक की सेवा तक तब अर्हक नहीं होगी जब तक उसके कर्तव्यों और वेतन को सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अवधारित शर्तों के अधीन विनियमित नहीं कर दिया जात।

स्पष्टीकरण: उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए इन नियमों जैसा अन्यथा उपबंधित है इसके सिवाय सेवा अभिव्यक्ति से सरकार के अधीन ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसके लिए संदाय उस सरकार द्वारा भारत की संचित निधि में से या उस सरकार द्वारा प्रशासित किसी स्थानीय निधि में से किया जाता है किंतु इसके अंतर्गत किसी गैर-पेशनीय स्थानापन्न में की सेवातब तक नहीं आती जब तक कि ऐसी सेवा उस सरकार द्वारा अर्हक सेवा नहीं मानी जाती है।

- (2) राज्य सरकार के ऐसे रेल सेवक की दशा में जो स्थायी रूप से रेल के अधीन सेवा में या पद पर स्थानांतरित किया जाता है उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई लगातार सेवा यदि कोई हो, जिसके पश्चात बिना अवरोध के अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो अथवा उस सरकार के अधीन यथास्थिति स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई लगातार सेवा अर्हक होगी।

परंतु इस उपनियम की कोई भी बात ऐसे रेल सेवक को लागू नहीं होगी जो किसी ऐसी सेवा में या पद पर जिसे ये नियम लागू होते हैं प्रतिनियुक्ति से भिन्न किसी प्रकार से नियुक्त किया जाए।

16. रेल में सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना:-

रेल में सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना किसी रेल सेवक की वह सेवा जो पेशनिक फायदों के लिए अर्हित होगी, इन नियमों में उपबंधित विस्तार तक यथा निम्नलिखित होगी:

- (i) भारतीय रेल में लगातार सेवा या उस पूर्ववर्ती कंपनी रेल या पूर्ववर्ती राज्य रेल में लगातार सेवा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा ले लिया गया है और पश्चातवर्ती भारतीय रेल में सेवा।

टिप्पण: पूर्ववर्ती राज्य शासक के साथ रेल सेवक द्वारा की गई सेवा को जो चाहे राज्य कर्मचारी के रूप में या भूतपूर्व शासक के साथ व्यक्तिगत रूप में या परिसंघीय वित्तीय एकीकरण के पूर्व उसके गृह धारक के रूप में जिसके पश्चात ऐसी सेवा में व्यवधान न हुआ हो पेशनी फायदों के लिए पूर्ववर्ती राज्य रेल में सेवा माना जाएगा। इस बात को दृष्टि में लाए बिना कि उसको परिलब्धियों का संदाय राज्य राजस्व से या भूतपूर्व शासक के प्राइवेट स्रोत से किया गया था।

(ii) भारतीय रेल या किसी भूतपूर्व कंपनी रेल या भूतपूर्व राज्य रेल में जिसे सरकार द्वारा ले लिया गया है पद ग्रहण करने से पहले की गई सेवाएं परंतु यह तब जबकि:

(क) यह सेवा भारतीय रेल या किसी भूतपूर्व राज्य रेल या भूतपूर्व कंपनी रेल में कोई सेवा हो और यदि स्थानांतरण के समय यह विनिश्चय किया गया हो कि ऐसी सेवा की गणना भविष्य निधि में विशेष अंशदान के लिए की जाएगी।

(ख) यह सेवा भारतीय रेल या भूतपूर्व रेल कंपनी या भूतपूर्व राज्य रेल में संविदा के आधार पर नियम 24 के उपबंधों के अधीन हो।

(ग) यह सेवा प्राइवेट रेल कंपनी या अर्ध रेल निकाय के अधीन नियम 25 के उपबंधों के विस्तार तक और उनके अधीन रहते हुए हो;

(iii) अर्ध सरकारी संस्थान के अधीन किसी वैज्ञानिक कर्मचारी की गैर पेंशनी सेवा जो नियम 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपकर या जो सरकारी अनुदान से वित्तपोषित हो।

(iv) सैनिक या युद्ध सेवा।

(v) नियम 27 के उपबंधों के अनुसार रेल में हुए अंतरण के पूर्व केन्द्रीय सरकार (किसी सिविल मंत्रालय या विभाग में या रक्षा मंत्रालय) जिसमें आईनॅस कारखाना भी शामिल है सिविल कर्मचारी के रूप में या राज्य सरकार के अधीन की गई अर्हक सेवा।

17. प्राइवेट रेल कंपनी और अर्द्ध-रेल निकायों के अधीन की गई सेवा की गणना:

(1) पूर्व प्राइवेट या पूर्व राज्य रेल कंपनी और अर्द्ध-रेल निकायों के ऐसे कर्मचारियों की पूर्ववर्ती सेवा जो भारतीय रेल में शामिल किए गए या नए प्रवेशक के रूप में आमेलित या नियुक्त किए गए थे। इन नियमों के अधीन यदि वह भविष्य निधि के विशेष अभिदाय के प्रयोजन के लिए गणनीय है जो पेंशनिक फायदों के लिए गणना में ली जाएगी:

(i) यदि विद्यमान आदेशों के अधीन वह सेवा भविष्य निधि के विशेष अभिदाय के लिए गणनीय नहीं है तो उसे पेंशनिक फायदों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा;

(ii) यदि विद्यमान आदेशों के अधीन पूर्व सेवा केवल भविष्य निधि के विशेष अभिदाय की पात्रता अवधारित करने के लिए गणनीय है तो पेंशनिक फायदों के लिए उस पूर्ण सेवा की गणना में लिया जाएगा।

(2) उस पूर्ववर्ती सेवा को जिसे उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार गणना में लिया गया है, इन नियमों के अधीन पेंशनिक फायदों के लिए उसमें उपदर्शित सीमा तक रेलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

18. भारतीय रेल सम्मेलन संगम में की गई सेवा की गणना:-

यदि किसी रेल सेवक देवारा की गई सेवा का एक भाग भारतीय रेल सम्मेलन संगम में है, तो ऐसी सेवा, सरकार के अधीन दी गई सेवा के रूप में समझी जाएगी और इन नियमों के अधीन अर्हक सेवा की संगणना के लिए गणना में ली जाएगी;

परंतु यह तब जब कि स्थानान्तरण, रेल सेवक के आवेदन को उचित माध्यम से अग्रोषित किए जाने के परिणामस्वरूप या कर्मचारी की विशेष अर्हताओं या अनुभव के कारण भारतीय रेल सम्मेलन संगम और भारतीय रेल प्रशासन द्वारा ऐसे स्थानान्तरण या सहमत होने के परिणामस्वरूप हुआ है।

19. राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा की गणना और पेंशनिक दायित्व का आवंटन।

(1) सरकारी सेवक को ऐसी सरकार द्वारा, जहां से वह सेवानिवृत्त हो, पेंशन अनुदत्त करने के लिए, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन अर्हक सेवा की गणना करने का लाभ अनुज्ञात किया जा सकेगा: परंतु यह तब जब कि सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के लिए प्राप्त उपदान, यदि कोई हो, संबंधित सरकार को प्रतिदाय कर दिया जाता है।

(2) उपनियम (1) के अनुसार, सम्मिलित सेवा के फायदों का दावा करने के लिए पात्र सरकारी सेवक निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-

(क) वे जिनकी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से छंटनी की गई थी लेकिन जिन्होंने छंटनी की तारीख और नई नियुक्ति की तारीख के बीच सेवा में व्यवधान के साथ या बिना व्यवधान के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अपने प्रयास से नियोजन प्राप्त कर लिया है।

(ख) वे, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अस्थायी पद धारण करते समय, संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की समुचित अनुज्ञा के साथ उचित माध्यम से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पदों के लिए आवेदन करते हैं:

परंतु यह कि जहां किसी कर्मचारी से नई नियुक्ति पर पद ग्रहण से पहले, उसके द्वारा धारित अस्थायी पद से प्रशासनिक कारणों से तकनीकी अपेक्षा को पूरा करने के लिए अपेक्षा है वहां त्यागपत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र देने के इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। ऐसा त्यागपत्र प्रशासनिक कारणों से या नए पद ग्रहण करने की समुचित अनुज्ञा से तकनीकी अपेक्षा पूरा करने के लिए दिया गया था। सेवानिवृत्ति के समय, यह फायदा पाने में उसे समर्थ बनाने के लिए, इस प्रमाणपत्र का अभिलेख उचित अनुप्रमाणन के अधीन उसकी सेवापुस्तिका में भी किया जा सकता है।

(3) इस नियम के उपबंध, जम्मू एवं कश्मीर और नागालैण्ड राज्य सरकारों के पूर्ववर्ती नियोजन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

20. केन्द्रीय सरकार के विभागों का पेंशनिक दायित्व:

पेंशन, जिसके अंतर्गत उपदान भी है, का पूरा दायित्व उस विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें सरकारी सेवक, सेवानिवृत्ति के समय स्थायी है और आनुपातिक पेंशन की कोई वसूली, केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से जिसके अधीन उसने सेवा की थी, नहीं की जाएगी।

21. वैज्ञानिक कर्मचारियों द्वारा अर्ध-सरकारी संस्थाओं में दी गई सेवा की गणना:-

किसी वैज्ञानिक कर्मचारी द्वारा किसी अर्ध-सरकारी संस्था में, जो उपकर या सरकारी अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है, की गई सेवा और ऐसी सेवा के दौरान वह अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता रहा था, पेंशनी रेल सेवा में बिना किसी व्यवधान के स्थायी नियुक्ति पर, पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना में की जाएगी।

परंतु यह तब जब उक्त संस्था द्वारा संदत्त अंशदान उस पर ब्याज सहित सरकार को दे दिया गया है, लेकिन सेवा की उतनी अधिक अवधि, जिसके दौरान उसने अंशदायी भविष्य निधि में अंश नहीं दिया था, तब तक इस प्रकार गणना नहीं की जाएगी जब तक कि पूर्व नियोजक इस प्रकार की गई सेवा के लिए पेंशनी फायदा मद्दे आनुपातिक दायित्व का वहन करने के लिए सहमत न हो। यदि कर्मचारी, ऐसी किसी संस्था में अंशदायी भविष्य निधि आधार पर नहीं था, तो उसकी पूर्व सेवा की गणना पेंशन के लिए अर्हक के रूप में तभी की जाएगी जब पूर्व नियोजन पेंशनी फायदा मद्दे आनुपातिक दायित्व का वहन करने के लिए सहमत हो।

22. पुनः नियोजित रेल सेवक की दशा में सेवा-निवृत्ति-पूर्व की सेवा (जिसके अंतर्गत रेल सेवा है) की गणना-

(1) ऐसा रेल सेवक, जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन या प्रतिकर उपदान का सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुनः नियोजित किया जाता है और किसी ऐसी सेवा या पद में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया जाता है, या तो-

(क) अपनी पूर्वतर सेवा के लिए मंजूर की गई पेंशन लेते रहने या उपदान रखे रखने का विकल्प कर सकता है किन्तु ऐसी दशा में उसकी पहले की सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी, या

(ख) अपनी पेंशन लेते रहने से परिविरत होने और-

(i) पहले ली गई पेंशन;

(ii) पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए प्राप्त मूल्य या उसकी किसी भाग का, और

(iii) मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, यदि कोई हो को लौटा देने का और पूर्व सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में किए जाने का विकल्प कर सकता है:

परन्तु यह कि-

(i) पुनर्नियोजन की तारीख से पूर्व ली गई पेंशन लौटा दिए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगी;

(ii) पेंशन का वह तत्व, जिसकी उसके वेतन नियत करने के लिए उपेक्षा की गई थी जिसके अंतर्गत पेंशन का वह तत्व भी है, जिसकी वेतन नियत करने के लिए गणना नहीं की गई थी, उसके द्वारा लौटाया जाएगा;

(iii) उपदान के समतुल्य पेंशन के उस तत्व का जिसके अंतर्गत पेंशन के संराशीकृत भाग का तत्व भी है, यदि कोई हो, जिसकी उसका वेतन नियत करने के लिए गणना की गई थी, मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की रकम के विरुद्ध संतुलित किया जाएगा और पेंशन का संराशीकृत मूल्य तथा अतिशेष, यदि कोई हो, उसके द्वारा लौटाया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के परंतुक में "जिसकी गणना में ली गई थी" पद से पेंशन की रकम भी है जिसके द्वारा रेल सेवक का वेतन प्रारंभिक पुनः नियोजन पर घटाया गया था, अभिप्रेत है और "जिसकी गणना नहीं की गई थी" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(2) (क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी रेल सेवा में या पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति का आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसे आदेश के साथ रेल सेवक से उस नियम के अधीन ऐसा आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर या यदि वह उस तारीख को छुट्टी पर है तो उसके छुट्टी से लौट आने के तीन मास के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, अपने विकल्प का प्रयोग करने और उस उपनियम के खण्ड (ख) के उपबंध भी उसकी जानकारी में लाने की लिखित अपेक्षा करेगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो रेल सेवक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने नियम (1) के खण्ड (क) के लिए विकल्प का प्रयोग किया है।

(3) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो उपनियम (1) के खण्ड (क) के लिए विकल्प देता है या जिसके बारे में ऐसा समझा जाता है कि, उसकी पश्चात्पूर्ती सेवा के लिए अनुज्ञेय पेंशन या उत्पादन इस परिसीमा के अधीन अध्यधीन होगा कि सेवा उत्पादन अथवा पेंशन का पूंजी मूल्य और मृत्यु तथा सेवा उपदान के, यदि कोई हो, जो यदि सेवा की दोनों अवधियों को मिला लिया जाए तो जो उसके अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने के समय उसे अनुज्ञेय हो तथा पहले की सेवा के लिए उसे पहले ही अनुदत्त सेवानिवृत्त प्रसुविधाओं के मूल्य के अंतर से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणः-पेंशन या पूंजी मूल्य, दूसरी या अंतिम सेवानिवृत्ति के समय लागू रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 के अधीन परिशिष्ट-2 में सारणी के अनुसार संगित किया जाएगा।

(4) (क) ऐसे रेल सेवक से, जो उपनियम (1) के खण्ड (ख) के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पहले की सेवा की बाबत प्राप्त उपदान, जिसके अंतर्गत मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान है, छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में, जिसमें से पहली किस्त उस मास के, जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया था, ठीक बाद के मास से प्रारंभ होगी, लौटा दे।

(ख) पहले की सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना कराने का अधिकार तब तक पुनः प्रवर्तित नहीं होगा जब तक कि पूरी रकम लौटा न दी गई हो। (5) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जो उपदान को लौटा देने का निर्वाचन करके पूरी रकम लौटा देने से पहले ही मर जाए, उपदान की वह रकम जो लौटाने से रह गई है उस मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान मर्दें समायोजित कर दी जाएगी जो उसके कुटुंब को संदेय हो जाए।

23. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना:-

रेल मंत्रालय आदेश द्वारा, यह विनिश्चित कर सकेगा कि रेल प्रशासन के अधीन सेवा में उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व रेल सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

24. बहाली पर विगत सेवा की गणना:

(1) ऐसा रेल सेवक जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया है, हटा दिया गया है अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, किंतु अपील पर अथवा पुनर्विलोकन पर बहाल कर दिया गया है अपनी विगत सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में कराने का हकदार है।

(2) यथास्थिति पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख तथा बहाली की तारीख के बीच सेवा में जितनी अवधि का व्यवधान हुआ है, उस अवधि और निलंबन की यदि कोई हो अवधि की गणना तब तक अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी जब तक उसे उस प्राधिकारी के जिसने बहाली का आदेश पारित किया था, किसी विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा कर्तव्य अथवा छुट्टी के रूप में विनियमित नहीं कर दिया जाता।

25. पदच्युति अथवा हटा दिए जाने पर सेवा का समपहरण:-

रेल सेवक के किसी सेवा या पद से पदच्युत किए जाने अथवा हटा दिए जाने से उसकी विगत सेवा समपह्यत हो जाएगी।

26. पदत्याग करने पर सेवा का सम्पहरण:

(1) रेल सेवक द्वारा सेवा या पद से पदत्याग करने से उसकी विगत सेवा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लोकहित में उसे वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दे दी जाती, सम्पहत हो जाएगी।

(2) पदत्याग से विगत सेवा का सम्पहरण नहीं होगा यदि ऐसा पदत्याग समुचित अनुज्ञा से, सरकार के अधीन कोई अन्य नियुक्ति, चाहे वह सरकार के अधीन अस्थायी हो या स्थायी, वहां जहां सेवा पेंशन के लिए अर्हक होती हो, ग्रहण करने के लिए किया गया है।

(3) उपनियम (2) के अधीन आने वाले किसी मामले में सेवा का व्यवधान, जो दो नियुक्तियों के दो विभिन्न स्थानों पर होने के कारण हुआ हो और स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से अधिक का न हो, रेल सेवक को उसके कार्यभार छोड़ने की तारीख को बाकी किसी भी प्रकार की छुट्टी देकर या उस सीमा तक उसे औपचारिक रूप से माफ करके जिस सीमा तक वह अवधि सरकारी सेवक की बाकी छुट्टी से पूरी न होती हो, दूर कर दिया जाएगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर लोकहित में किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापिस लेने के लिए अनुज्ञा कर सकेगा, अर्थात्:-

- (i) यह कि त्यागपत्र रेल सेवक द्वारा कुछ ऐसे विशिष्ट कारणों से दिया गया था जो उसकी सत्यनिष्ठा, दक्षता या आचरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता और त्यागपत्र की वापसी के लिए प्रार्थना उन परिस्थितियों में तात्त्विक परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप की गई है जिनके कारण वह मूलतः त्यागपत्र देने के लिए विवश हुआ था;
- (ii) यह कि त्यागपत्र प्रभावी होने की तारीख और रेल सेवक को त्यागपत्र वापिस लेने की प्रार्थना की तारीख से बीच की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं था।
- (iii) यह कि त्यागपत्र प्रभावी होने की तारीख और रेल सेवक को त्यागपत्र वापिस लेने की अनुज्ञा के परिणामस्वरूप कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए अनुज्ञात तारीख के बीच कार्य से अनुपस्थित रहने की अवधि नब्बे दिन से अधिक नहीं है,
- (iv) यह कि जो पद रेल सेवक द्वारा अपने त्यागपत्र की स्वीकृति पर रिक्त किया गया था या कोई अन्य समान पद, उपलब्ध है?

(5) त्यागपत्र वापिस लेने की प्रार्थना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी जब रेल सेवक प्राइवेट वाणिज्यिक कम्पनी में या उसके अधीन अथवा ऐसे निगम या कम्पनी में या उसके अधीन, जो पूर्णतः या भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है या किसी ऐसे निकाय में या उसके अधीन जो सरकार के नियंत्रणाधीन है या उसके द्वारा वित्तपोषित है, नियुक्ति ग्रहण करने की दृष्टि से अपनी सेवा या पद का त्याग करता है।

(6) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापिस लेने और कर्तव्य पुनः आरंभ करने की अनुज्ञा देते हुए पारित किया जाता है वहां उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत सेवा में व्यवधान को माफ भी है किन्तु उस व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

(7) नियम 53 के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत त्यागपत्र से सरकार या रेल प्रशासन के अधीन विगत सेवा का समपहरण नहीं होगा।

27. सेवा में व्यवधान का प्रभाव-

(1) रेल सेवक की सेवा में व्यवधान से, निम्नलिखित मामलों के सिवाय, उसकी विगत सेवा समपहत हो जाएगी, अर्थात्:-

- (क) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी;
- (ख) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी के अनुक्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति जब तक कि अनुपस्थिति व्यक्ति का पद अधिष्ठायी रूप से न भर लिया जाए,
- (ग) निलंबन, वहां जहां उसके ठीक पश्चात् उसी पद में या किसी भिन्न पद में बहाली की गई हो अथवा वहां जहां रेल सेवक मर जाता है या निलंबित रहते हुए उसे सेवानिवृत्त होने दिया जाता है अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है;
- (घ) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थापन में किसी अनर्हक सेवा में स्थानांतरण यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी ने लोकहित में दिया हो;
- (ङ) कार्य-ग्रहण अवधि जब वह एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण पर हो।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी आदेश द्वारा, बिना छुट्टी की अनुपस्थिति अवधियों को असाधारण छुट्टी के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तित कर सकेगा।

28. माफ किए गए सेवा में व्यवधान को भविष्य निधि में विशेष अभिदाय के लिए क्या माना जाए:-

भविष्य निधि में विशेष अभिदाय के प्रयोजनों के लिए 22 जून, 1961 के पूर्व माफ किया गया सेवा में कोई व्यवधान पेंशन संबंधी फायदों के प्रयोजन के लिए भी माफ किया गया समझा जाएगा, परंतु यह तब जब-

- (i) रेल सेवक, जिसने सेवा में व्यवधान के पूर्व की गई सेवा की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त उपदान (भविष्य निधि में विशेष अभिदाय या सरकारी अभिदाय या दोनों) की रकम का प्रतिदाय नहीं किया है, उस रकम का सरकार को प्रतिदाय कर देता है, उस रकम पर कोई ब्याज उस अवधि के लिए वसूल न किया जाए जिसके दौरान वह रकम उसके पास रही थी,
- (ii) (क) प्रतिदाय करने का आशय रेल सेवक द्वारा लिखित रूप में लेखा अधिकारी को, अधिष्ठायी पद में अपनी पुष्टि के आदेशों के जारी होने की तारीख से छह मास के पश्चात् या यदि वह छुट्टी पर है तो उसके छुट्टी से लौटने के छह मास के भीतर बता दिया था,
- (ख) प्रतिदाय संख्या में बारह से अनधिक किस्तों में जो कि उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी जो सेवा में व्यवधान का माफ करेगा, किया जाएगा,
- (ग) पूर्ववर्ती सेवा की गणना का अधिकारी तब तक पुनः प्रवर्तित नहीं होगा जब तक संपूर्ण रकम का पूरी तरह प्रतिदाय नहीं कर दिया जाए।

29. अठारह वर्ष की सेवा के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति के पांच वर्ष पूर्व अर्हक सेवा का सत्यापन:-

(1) जहां कि कोई रेल सेवक सेवा के पच्चीस वर्ष पूरे कर लेता है या सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व उसके पास सेवा के पांच वर्ष रह जाते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, वहां राजपत्रित रेल सेवक की दशा में संबद्ध लेखा परीक्षा अधिकारी या अराजपत्रित रेल सेवा की दशा में संबद्ध लेखा परीक्षा अधिकारी से परामर्श करके कार्यालय अध्यक्ष, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार उस सेवा का जो ऐसे रेल सेवक द्वारा की गई हो, सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा, इस प्रकार अवधारित अर्हक सेवा की अवधि उसे प्रारूप-15 में संसूचित करेगा।
(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.09.2013 का पत्र सं.2011/एफ(ई)111/1(1)9 और फाइल सं.2015/एफ(ई)111/1(1)4 दिनांक 17.06.2016 ...आरबी सं.70)

(1क) सेवा के सत्यापन के प्रयोजनार्थ कार्यालय अध्यक्ष नियम (79) के उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

(प्राधिकार: फाइल सं.2015/एफ(ई)111/1(1)4 दिनांक 17.06.2016आरबी सं.70)

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रेल सेवक किसी अस्थायी विभाग से या उस विभाग के जहां वह पहले सेवा कर रहा था, बंद हो जाने के कारण या जो पद वह धारित कर रहा था उसके फालतू घोषित कर दिए जाने के कारण वह किसी अन्य विभाग में अंतरित किया जाता है, वहां उसकी सेवा का सत्यापन तब किया जाए जब ऐसी घटना घटित हो।

(3) उप-नियम (1) और उपनियम (2) में किया गया सत्यापन अंतिम समझा जाएगा और उस पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक उन नियमों और आदेशों में तत्पश्चात् कोई परिवर्तन करना आवश्यक न हुआ हो जो उन शर्तों को शासित करते हैं जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अर्हक होती है।

जी. प्रिया सुदर्शनी

(जी. प्रिया सुदर्शनी)

निदेशक वित्त (स्थापना)

रेलवे बोर्ड